

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीताशीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 55/24 प्र/प/र

1- शर्मा D/o लक्ष्मण बुधावत निवासी-आलमारा तहसील-भांडल [बगैरा]

-प्राथी

1- श्री मेधा D/o लक्ष्मण बुधावत निवासी-आलमारा तहसील-भांडल [बगैरा]
(सुदृढीकृत प्राप्पत्र संलग्न)

-विपक्षीयता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक:- 07-05-24

आदेश:

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नाम आलमारा पटवार हल्का आलमारा तहसील माण्डल ने उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 578 कुल कित्ता 0.1 एकबा 0-3794 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि को विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12-03-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगद्दी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश:

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर नाम आलमारा पटवार हल्का आलमारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 578 कुल कित्ता 0.1 एकबा 0-3794 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमारा को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की संधारिधति को बनाये रखते हुए गुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जायें। फराल खड़ी होने पर पत्थरगद्दी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

